न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : **gcms no.–2013/00060**
manual no.-2013/240

1. जगदीश पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजगण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. गंगाबाई पत्नि श्यामलाल जाति मेघवाल निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. अनोखबाई पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

––अपीलान्ट

बनाम

1. कंवरबाई पत्नि बेवा हुकुमसिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. लाला पुत्र हुकुमसिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः– 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 18.10.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 29/2022 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त उनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण उम्मीद है। प्रार्थीगण के शामलाती खाते की भूमि वाके माल ग्राम गोयन्दा पटवार क्षेत्र गोयन्दा भू–अभिलेख

निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील रामगंज मण्डी में खाता सं. 80 में खसरा नं. 419 की रकबा 0.75 हे. वादी नं. 1 की खातेदारी व खसरा नं. 420 की रकबा 0.01 हे. गे.मु.चा वादी सं. 1 लगायत 3 की 1/3 – 1/3 शामलाती खातेदारी में व खसरा नं. 434 की 1.25 है0 में से 1.00 है. प्रार्थी सं. 2 की खातेदारी व शेष 0.25 है. प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त भूमि प्रार्थी ने पूर्व खातेदार रोडूलाल वल्द नंदलाल निवासी गोयन्दा से 14.5.1992 को वादी सं. 1 ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख क्रय की थी और तभी से काबिज़ काश्त चला हुआ आ रहा है भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि में से प्रार्थी सं. 1 ने भूमि खसरा नं. 434 की रकबा 1.00 है. प्रार्थी संख्या 2 को व खसरा नं 420 में चाह को 1/3, 1/3 प्रार्थी सं. 2 व 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख कय कर लिया है । प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है व उक्त भूमि पर फसल का लाभ लेता हुआ रहा है। अभी हाल में ही सेटलमेन्ट हुआ है उक्त सेटलमेन्ट कर्मचारीयो से व पटवारी हल्का से अप्रार्थी 1 व 2 ने मिलकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पुराना खाता सं. 289 में खसरा नं. 189 की रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि से भू–अभिलेख में छेडछाड कर खसरा व नक्शा परिवर्तन कर गलत अंकन जमाबंदी 2004–2024 में खसरा नं. 419, 420, 434 अंकित कर दिया है व खाते से भी छेड़छाड़ करके जमाबंदी में अंकन मनमर्जी से प्रार्थी को नुकसान पहुचने के उददेश्य से 80 दर्ज करवा दिया है व अप्रार्थी सं. 3 ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 से सांठगांठ कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी स्वामित्व की भूमि का नक्शा व रेवन्यू रिकार्ड में हेरफेर करके प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को बिना मोके की रिपोर्ट लिये अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 2.12. 2010 को अवैध रूप से अलोट कर दी। नवीन सेटलमेन्ट के तहत सेटलमेन्ट कर्मचारियो को सर्वप्रथम प्रार्थी जहां काबिज काश्त है उसी खसरा नं. का अंकन करना चाहिये था लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारियों की घोर लापरवाही में वादी के साथ कुठाराघात करके अवैध व प्रभावशुन्य खसरा नं. 419, 420,434 व खाता सं. 80 का अंकन फर्जी रूप से कर दिया है जो प्रार्थी के हितो के विपरीत होने से प्रभावहीन इनऑपरेटिव एण्ड वॉइड ऐबी नीस्यु है। प्रार्थीगण मौके पर खाता सं. 289 की भूमि खसरा नं.189 की रकबा 12 बीघा 09 विस्वा भूमि पर काबिज काश्त है वही नम्बर उनका चला हुआ आ रहा है सेटलमेन्ट कर्मचारियो को उक्त खसरा नं. व खाता सं. व नक्शा बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रार्थी को सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि से पटवारी हल्का व अप्रार्थी नं 1 व 2 प्रार्थीगण को लगातार नाजायज तंग व परेशान कर रहा है कि तेरा खसरा नं. व नक्शा बदल गया है तू उक्त खसरा नं व नक्शे के मुताबिक भूमि पर जा तेरे कब्जे काश्त की भूमि छोड़ तेरे कब्जे खाते की भूमि मुझे अलोट कर दी गई है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा की गई खसरा त्रुटि व खाता त्रुटि व नक्शा त्रुटि के आधार पर पटवारी हल्का व अप्रार्थी सं.1 व 2 को किसी भी प्रकार का प्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि व कब्जे काश्त के चारों दिशाओं में व पुराने नक्शे के अनुसार हंकत खेतो से लगी हुई है कोई खाली भूमि वहां आस पास मोके पर ना तो मोजूद थी और ना ही मोजूद है। ना ही कभी वहां सरकारी भूमि मौके पर रही है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं. 419, 420, 434 के बजाय 189 करना नितान्त आवश्यक है अन्यथा रेवन्यू रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने से प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में होना अंसभव है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण के लिये

यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय से सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा उसके कब्जे खाते की भूमि पुराना खाता सं. 289 में खसरा नं.189 की रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि माल ग्राम गोयन्दा पटवार क्षेत्र गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी का जो गलत पुराने नक्शे के अनुसार व मोके पर पुराने कब्जे काश्त के आधार पर अंकन जमाबंदी में 80 करके खसरा नं. 419, 420, 434 व नक्शा परिवर्तन किया है उक्त त्रुटि को खसरा नं. 189 खाता सं. 289 जहां प्रार्थीगण काबिज काश्त है उक्त त्रुटि का इन्द्राज दुरूस्तगी ठीक करवाकर समस्त अप्रार्थीगणों के विरूद्ध घोषणा प्राप्त करे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित फरमायी जावे कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित भूमि में फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार की मदाखलत बेजा ना तो स्वंय करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट से करावे तथा शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे एवं अप्रार्थी सं. 3 फर्जी दस्तावेज के आधार पर रेवन्यू रिकार्ड में व मौके पर किसी प्रकार का हेरफेर नही करे ता फैसला वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश बक्शा जावे। जो भी न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रार्थीगण को दिलायी जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.08.2013 के द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 07.12.2021 व उक्त निर्णय की पालना में मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 24.05.2022 उक्त अपील में प्रस्तुत कर रहा है। उक्त दस्तावेज न्यायालय के निर्णय व पालना रिपोर्ट की फोटोप्रतियॉ है, जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। उक्त दस्तावेज माननीय न्यायालय के निर्णय हेतु सहायक दस्तावेज है जो अपील के न्यायिक निर्णय में सहायक है। अन्त में अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने व

प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का इस स्तर पर कोई सन्दर्भ व सम्बंध नहीं होने से रिकॉर्ड पर नहीं लिए जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों अवलोकन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजकीय प्रकृति के है तथा इनका प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होता है। साथ ही उक्त दस्तावेजों का अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक होना प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

7. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपी ऑर्डर शीट दिनांक 08.03.2022 से दिनांक 27.06.2023 तक न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त कोटा तथा प्रमाणित प्रतिलिपी मेमो ऑफ अपील न्यायालय अति0 सभ्भागीय आयुक्त कोटा बउनवान कंवर बाई बनाम जगदीश व अन्य की है। उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति अभि हाल में प्राप्त हुई है अतः पूर्व में प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे। उपरोक्त दस्तावेज सुसंगत एवं जेन्युईन है तथा हस्तगत प्रकरण से संबधित है तथा अपील के समुचित निर्णय के लिये आवश्यक दस्तावेज है। अन्त में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी. सी. स्वीकार किये जाने व प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रस्तुत दस्तावेज अनावश्यक व असम्बंधित होने का कथन किया तथा रिकॉर्ड पर नहीं लेने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का प्रकरण से सुसंगत होना तथा राजकीय प्रकृति का होना प्रतीत होता है। साथ ही उक्त दस्तावेजों का अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक होना प्रतीत होता है। न्यायहित में रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्राली के सरसरी तौर पर अवलोकन कर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलाट वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय में 88,89,188 आरटी०एक्ट का था, जिसमें अपीलांट द्वारा 212 और टीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी द्वारा मात्र यही अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी कि वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रिकार्ड और मोके की यथा स्थिति बनाई रखी जाये, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था।

अपीलांट का केस था कि सेटलमेंट से पहले ख0नं0 189 अपीलांट की खातेदारी का था तथा बन्दोबस्त विभाग ने नया खसरा नम्बर–412 अवैध रूप से सिवायचक दर्ज करके रेस्पो० को आवंटित कर दिया जबकि 189 अपीलाट की खातेदारी की भूमि थी जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा सिवाय चक नहीं किया जा सकता तथा जब भूमि सिवायचक नहीं थी तो आवंटित कैसे होगी। इस प्रकार अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण था और मौके पर भी अपीलांट काबिज है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया है कि रेस्पो० स्वयं ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 412 के सम्बन्ध में अपीलांट को बेदखल करने का दावा अन्तर्गत धारा–183 में पेश कर रखा हैं जिससे भूमि पर अपीलांट का कब्जा प्रमाणित है तथा अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। घोषणा के दावे में अपीलांट के कथन शहादत से प्रमाणित होंगे, जिससे वाद के निर्णय तक रिकार्ड और मौके की यथा स्थिति कायम रखना आवश्यक व न्यायोचित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये नक्शे में गलत अंकन व खातेदारी परिवर्तन करने का अधिकार नही है। सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये कृत्य अवैधानिक व विधि के सर्वथा विपरीत है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फ़रमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.08.2013 निरस्त किये जाने का निवेदन किया। साथ ही वादग्रस्त आराजी की रिकार्ड और मौके की वाद के निस्तारण तक यथा स्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 412 ग्राम गोयन्दा रकबा 0.40 हैक्टेयर आंवटन सलाहकार समिती के आदेश दिनांक 02.12.2010 द्वारा अप्रार्थी कवंरबाई पत्नी हुकुमसिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा को ग्राम गोयन्द की खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि विधिवत् रूप से आवंटित की गई। उक्त आवंटन सेटलमेंट के पश्चात हुआ है। उपखण्ड अधिकारी महोदय रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 138–39 दिनांक 18.01.2011 से भूमि पर आवंटी को कब्जा देने के आदेश दिये जा चुके है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त आवंटन को विधि सम्मत माना है। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 विधि सम्मत है। प्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील में प्रश्नगत खसरा नम्बर 412 में इनके क्या हक, अधिकार है, यह साबित करने में असफल रहे है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 में स्वयं प्रार्थी ने कथन किया है कि उनके पुराना खसरा नम्बर 189 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा से नए खसरा नम्बर 419, 420 व 434 बना दिया। इनका रकबा 2.01 हैक्टेयर बनता है। दस्तावेजों से प्रमाणित है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हैक्टेयर दिनांक 02.12.2010 को श्रीमती कंवरबाई को नियमानुसार आवंटित की गई। उक्त आवंटन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई। प्रार्थी अपीलांट का इस भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है, केवल मात्र एक नक्शे के आधार पर प्रार्थी अपीलांट विवाद उत्पन्न कर रहे है। मूलतः इनका विवाद नक्शे में हेर–फेर को लेकर है। अपील में इनकी प्रार्थना भी विधि अनुसार सही नहीं है। अपीलांट की प्रार्थना रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने की है जो कि उचित नहीं है। न्यायिक दृष्टांत 2010(2) आर.आर.टी. पेज 1421 में स्पष्ट किया गया है कि मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश अन्तरिम रूप से दिया

जा सकता है परन्तु अंतिम आदेश के रूप में नहीं दिया जा सकता। अपीलांट प्रार्थी ने प्रश्नगत आवंटन को लेकर न्यायलय जिला कलेक्टर कोटा में Sub-rule (4) of Rule 14 of 1970 Rules के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 07.12.2021 को हुआ तथा जिसकी अपील हमने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा में की तथा जिस पर दिनांक 08.03.2022 की यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन जारी हो रखा है। अपीलांट प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि में कोई हक, अधिकार निहित नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2015 डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 235, 2010(2) आर.आर.टी. पेज 1421 प्रस्तुत किये। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु तीन घटको–प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विवेचन किये जाने के पश्चात ही अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा–

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण– प्रार्थी अपीलांट पूर्व से खसरा नम्बर 189 का खातेदार रहा है। परन्तु हस्तगत विवाद खसरा नम्बर 412 रकबा 0.40 हैक्टेयर का है। सर्वप्रथम हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल आदि नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि खसरा नम्बर 412 पुराने खसरा नम्बर 189 से बना हो। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी अपीलांट को खसरा नम्बर 412 पर प्रार्थी की कोई खातेदारी या हक, अधिकार हो यह साबित करने में असफल रहा है। अधिवक्ता अपीलांट का यह तर्क है कि उन्होने प्रश्नगत भूमि के आवंटन के विरूद्ध उन्होने न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा के यहॉ प्रार्थना–पत्र वास्ते आवंटन निरस्त किए जाने बाबत अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम प्रस्तुत किया तथा इस भूमि को लेकर मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 412 पर जगदीश पुत्र धन्नालाल प्रार्थी अपीलांट का कब्जा माना है। हमारे मत में माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 07.12.2021 में प्रश्नगत आवंटन को पूर्णतः निरस्त नहीं किया है तथा इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी कंवरबाई ने माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में अपील प्रस्तुत कर दी है जिस पर दिनांक 08.03.2022 को यथास्थिति के आदेश जारी हुए है। अर्थात प्रश्नगत आवंटन वर्तमान मे निरस्त नहीं हुआ है। यहां मूल प्रश्न यह है कि क्या खसरा नम्बर 412 कभी अपीलांट की खातेदारी का रहा है? यदि किसी खातेदार का किसी भूमि पर कब्जा है तो वह विधिक रूप से होना चाहिए। अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से वैध कब्जे–काश्त को संरक्षित किया जाना उचित होता है। प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 08.03.2022 द्वारा आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश दिए गए है। प्रार्थी अपीलांट विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 412 पर प्रथम दृष्ट्या यह साबित करने में असफल रहे कि वे विवादग्रस्त भूमि के खातेदार रहे हो। आवंटन को लेकर वर्तमान में

पक्षकारों के मध्य विवाद लम्बित है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांट प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति–खसरा नम्बर 412 को लेकर पक्षकारों के मध्य मूलवाद अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है तथा पक्षकारों के हक अधिकार मूलवाद में निर्णित होंगे। वर्तमान में खसरा नम्बर 412 पर अपीलांट के क्या हक अधिकार है वो यह साबित नहीं कर पाए अतः सुविधा का संतुलन भी केवल प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के नाम विवादित भूमि गैर खातेदारी में दर्ज हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में अपूरणीय क्षति का बिन्दु केवल अपीलांट प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार प्रार्थी अपीलांट तीनो बिन्दुओं–प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को स्वयं के पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 विधि सम्मत है तथा इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 23/2013 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 यथावत रखा जाता है।

12. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा